FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crim-I

ज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.......... मुकाम ....कोटा..........

..........माधवी.......... बनाम ....राजस्थान..........

किस्म मुकदमा ..........L.R. Act - 136.......... नं. ....162.......... सन् ....2025..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/2025	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी माधवी की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी माधवी की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 2/2/26 को पेश हो।	
2/2/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी माधवी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी खसरा नं0 77 की रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम बोरखण्डी पटवार हल्का नया नोहरा भू0अभि0नि0 क्षेत्र तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। प्रार्थीगण मकान नं0 108 शक्ति नगर दादाबाड़ी कोटा राज0 की स्थाई निवासी है और प्रार्थीगण के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट व अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थीगण का पता मकान नम्बर 108 शक्ति नगर दादाबाड़ी कोटा ही अंकित है किन्तु प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की उक्त आराजी खसरा नं0 77 की रकबा 0.93 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का पता मकान नं0 108 शक्ति नगर दादाबाड़ी के स्थान पर सहवनवश लिपिकीय त्रुटिवश 108 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा अंकित हो गया है। उक्त त्रुटि लिपिकिय त्रुटि है। जिसके कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हुई उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर तदानुसार अमल दरामद किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी खसरा नं0 77 की रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम बोरखण्डी पटवार हल्का नया नोहरा भू0अभि0नि0 क्षेत्र तह0 लाडपुरा जिला कोटा के राजस्व रिकॉर्ड में सहवनवश एवं लिपिकिय त्रुटिवश गलत रूप से अंकित प्रार्थीगण के निवास के पते 108 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर प्रार्थीगण के वास्तविक व सही पते 108 शक्ति नगर दादाबाड़ी कोटा अंकित किये जाने व तदानुसार अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट का अवलोकन किया गया। दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण माधवी एवं रेणू मित्तल का सही पता 108 शक्ति नगर दादाबाडी कोटा है। प्रार्थीगण माधवी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम बोरखंडी पटवार हल्का नयानोहरा भू0अ0नि0 क्षेत्र रायुपरा तह0	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब अहल्क हुक्म में
	लाडपुरा जिला कोटा खाता नया 104 पुराना 103 खसरा नं0 97 रकबा 0.93 है0 में प्रार्थीगण का पता 108 शास्त्रीनगर दादाबाड़ी कोटा के स्थान पर 108 शक्ति नगर दादाबाड़ी कोटा दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 2/2/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	